न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी (मांगी लाल) आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. 1955

प्रकरण संख्याः 313/2024

1 **चन्दो पुत्री आदूराम जाति धानक निवासी मिर्जावाली हाल वार्ड 1 बस स्टैण्ड के पास मालिया तहसील नोहर।**

2 **बिदामी उर्फ विद्या पुत्री आदूराम जाति धानक निवासी मिर्जावाली हाल वार्ड 1 बस स्टैण्ड के पास मालिया तहसील नोहर।**

-:प्रार्थीगण

बनाम

1 **केहर सिंह पुत्र आदूराम जाति धानक निवासी मिर्जावाली मेर हाल रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगगढ**

2 **कालूराम पुत्र भानीराम जाति धानक निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ**

3 **बनवारी पुत्र आदूराम जाति धानक निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ**

4 **तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ**

5 **उपपंजियक हनुमानगढ जिला हनुमानगढ**

-:अप्रार्थीगण

उपस्थितः-

1 **श्री सतपाल भाभूं - अधिवक्ता प्रार्थीगण**

2 **श्री देवदत भीडासरा - अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 व 3**

3 **श्री देवीलाल भाभूं - अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2**

-:निर्णयः-

दिनांक :- 30.04.2025

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र जरिये विज्ञ अधिवक्ता श्री सतपाल भाभूं अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, इस आशय का पेश किया व याचित किया कि रोही मौजा 15 ए.जी. तहसील व जिला हनुमानगढ़ के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 5/6 के प.न. 196/376 (17) के किला नं. 5/1 की 0.2020 है. प.न. 197/376 (16) किला नं. 1/2 की 0.152 है., 2 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 प्रत्येक 0.2530 है0 भूमि व प.न. 198/376 (15) के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 प्रत्येक की 0.253 है0 भूमि कुल खसरे 29 की कुल तादादी 7.185 है0 भूमि सायलान व गैरसायल संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि उपरोक्त भूमि सायलान की मुश्तरका खाता की भूमि है और सायलान व गैरसायलान एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज है एवं मुश्तरका रूप से रकम राज अदा करते आ रहे हैं।

यह कि भूमि मुश्तरका होने के कारण से गैरसायल संख्या 1 ता 3 आये दिन सायलान को तंग परेशान करता रहते है सींव डोल से सम्बन्धित विवाद करते रहते है व सायलान के कब्जा काश्त में दखल अंदाजी कर जबरन चाईया से टिब्बी रोड़ की मूल्यवान भूमि में काबिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.05.26 15:37:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

होकर भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ो में प्लोटिंग करने बेचान करने की फिराक में है जिसके सम्बन्ध में सायला संख्या 2 ने गैरसायल संख्या 1 व 3 के खिलाफ पुलिस चौकी लखुवाली हैड में भूमि हड़पने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन गैरसायल संख्या 1 ता 3 सायलान की भूमि हड़पने पर आमादा है इसलिए सायलान विवाद को टालने की गर्ज से वादग्रस्त भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग-अलग कायम करवा पाने के अधिकारी है।

यह कि गैरसायल संख्या 1 ता 3 जो कि काफी तेज तर्रार व झगड़ालु किस्म के लोग है। तथा सड़क पर लगती बेश किमती भूमि होने के कारण से उनके मन में लालच आ गया तथा भूमि का बिना खाता विभाजन करवाये धाईया से टिब्बी मार्ग पर सड़क पर लगती भूमि बेश किमती भूमि पर जबरन काबिज होकर अपना कब्जा साबित कर बेचान करने की धमकी देते है यदि गैरसायल संख्या 1 ता 3 अपनी योजना में कामयाब हो जाते है तो सायलान को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी बाद में किसी भी सूरत में पूर्ति नही हो सकेगी इसलिए सायलान गैरसायल संख्या 1 ता 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाना चाहते है कि वे बिना खाता विभाजन करवाये भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नही करे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

यह कि सायलान ने गैरसायल संख्या 1 ता 3 को कई दफा कहा कि वह रोही मौजा 15 ए.जी. तहसील व जिला हनुमानगढ़ के खाता संख्या 5/6 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 7.1850 है0 भूमि का खाता व लगान अलग-अलग दर्ज करवा ले एवं वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने की योजना को त्याग देवे।

यह कि प्रथम दृष्टया मामला सुविधा के सन्तुलन साम्य प्राकृतिक न्याय व अपूर्णिय क्षति का मामला सायलान के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना-पत्र मय हल्फनामा सायल पेश कर निवेदन है कि ता फैसला दावा गैरसायला संख्या 1 ता 3 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि विवादित कृषि भूमि रोही मौजा 15 ए.जी. तहसील व जिला हनुमानगढ़ के खाता संख्या 5/6 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 7.185 है. भूमि में सायलान के कब्जा काश्त में प्रवेश ना करे तथा बिना खाता विभाजन करवाये रहन, बैय व मुन्तकिल ना करे, मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

≈ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई अप्रार्थीगण सं. 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री देवदत भीडासरा व अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री देवीलाल भाभूं ने वकालतनामा पेश किया व अप्रार्थीगण सं. 1 व 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थना-पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित तथ्यों में मात्र वाद प्रस्तुत होना स्वीकार है, शेष तथ्य निराधार व गलत अंकित होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया ने वाद व प्रार्थना-पत्र में निराधार व गलत तथ्य अंकित किये है। प्रार्थीया ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण के संयुक्त खाता की सम्पूर्ण भूमि का अंकन नहीं किया है जो विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध प्रस्तुत होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रार्थना-पत्र काबिल खारिजी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.05.26 15:37:46 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना-पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित तथ्य चक 15 ए.जी. की जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 5/6 में कुल 7.185 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 एवं वाद के अन्य प्रतिवादीगण के नाम अलग अलग हिस्सानुसार दर्ज होनी स्वीकार है। उक्त भूमि के अतिरिक्त प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व स्व. आदुराम के अन्य वारिसान के नाम चक 12 ए.जी. जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 खाता संख्या 49/59 में कुल 7.061 हैक्टेयर में 1/3 हिस्सा अर्थात् 2.353 हैक्टेयर भूमि

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। दोनों खातों की भूमि में कुछ सहदृकाश्तकारों ने अपने हिस्से आंशिक रूप से व कुछ सह-काश्तकारों ने सम्पूर्ण हिस्से विक्रय कर दिये है। पूर्ण विवरण अतिरिक्त कथनों में अंकित है ।

यह कि प्रार्थना-पत्र की चरण संख्या 3 अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि में कुछ सह-काश्तकारों ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय कर दिया है, परन्तु क्रेताओं का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। इसलिये सभी सह-काश्तकारों का राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि पर कब्जाकाश्त नही है।

यह कि प्रार्थना-पत्र की चरण संख्या 4 अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि को लेकर बट सींव आदि को लेकर कोई विवाद नही है। प्रार्थना-पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि चक 15 ए.जी. तादादी 7.185 हैक्टेयर प्रार्थीयान व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पूर्वज स्वर्गीय आदुराम पुत्र रामू के नाम दर्ज थी। आदूराम का देहान्त दिनांक 29.10.1996 को होने के पश्चात् उसके कुल 11 वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में विरासतन इंतकाल जरिये इंतकाल संख्या 494 दिनांक 08.09.22 के द्वारा प्रत्येक वारिस के नाम 1/11 हिस्सा अर्थात् प्रत्येक को 0. 6531 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई। प्रार्थना-पत्र में वर्णित भूमि के अतिरिक्त तहसील टिब्बी के चक 12 ए.जी. सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 49/59 में कुल 7.061 हैक्टेयर भूमि स्व. आदूराम व उसके भाई रूघाराम एवं मेदूराम पुत्र रामू के संयुक्त खाता में दर्ज थी। आदूराम की मृत्यु के पश्चात् उनके 1/3 हिस्सा की 2.353 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीयान व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 एवं अन्य वारिसान के नाम दर्ज हो गई। दोनों खातों की भूमि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व स्व. आदूराम के अन्य वारिसान को हिस्सा अनुसार प्राप्त हो गई थी। प्रार्थीयान ने अपने हिस्सा की भूमि में से प्रार्थीया सं. 1 चन्दो ने दिनांक 20.06.23 को वाद के प्रतिवादी रामस्वरूप व दिनांक 13.02.23 वाद के प्रतिवादी लेखराम को कुल 0.1389 हैक्टेयर एवं प्रार्थी बिदामी ने दिनांक 23.12.23 को एवं दिनांक 06.06.23 को वाद के प्रतिवादी महेन्द्र को कुल 0.152 हैक्टेयर भूमि विक्रय कर दी है। प्रार्थीया ने बाद में संयुक्त खाता की सम्पूर्ण भूमि का अंकन नहीं किया है। इसलिये संयुक्त खाता की सम्पूर्ण भूमि को शामिल किये बिना प्रार्थीया खाता विभाजन करवाने की अधिकारी नहीं है।

यह कि प्रार्थना-पत्र की चरण संख्या 5 अस्वीकार है। प्रार्थीया ने झूठे तथ्यों पर वाद व प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये है। प्रार्थीयान स्वयं पूर्व में विभाजन करवाये बिना अपने हिस्सा की अधिकांश भूमि विक्रय कर चुकी है। प्रार्थीयान स्थगन आदेश की आड़ में अच्छी भूमि पर कब्जा करना चाहती है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाता की होने के कारण सह-काश्तकार के विरूद्ध प्रार्थीया किसी प्रकार का स्थगन आदेश प्राप्त नहीं कर सकती एवं संयुक्त खाता की भूमि में किसी विशिष्ट भू-भाग का बेचान भी नहीं किया जा सकता। प्रार्थीया किसी प्रकार का स्थगन प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थना-पत्र काबिले खारिजी के है।

यह कि प्रार्थना-पत्र की चरण संख्या 6 में अंकित तथ्य गलत व निराधार अंकित होने से अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थना-पत्र की चरण संख्या 7 अस्वीकार है। प्रार्थना-पत्र में वर्णित भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी व वाद के अन्य प्रतिवादीगण अपने हिस्सा अनुसार भूमि पर काबिज है। प्रार्थीया स्थगन की आड़ में प्रार्थीगण के कब्जाकाश्त की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहती है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अप्रार्थीयान के पक्ष में है इसलिये प्रार्थना-पत्र काबिले खारिजी के है।

अतिरिक्त कथन

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.05.26 15:37:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

यह कि प्रार्थीयान एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पिता स्व. आदूराम पुत्र रामू के नाम से वादग्रस्त भूमि चक 15 एजी. तादादी 7.185 हैक्टेयर खातेदारी भूमि थी। उपरोक्त भूमि के अतिरिक्त स्व. आदूराम के नाम चक 12 ए.जी. में 7.061 हैक्टेयर भूमि अपने भाई [illegible] व भेदूराम पुत्र रामू के साथ संयुक्त खाता में दर्ज थी, जिसमें स्व. आदूराम का 1/3 हिस्सा अर्थात् 2.353 हैक्टेयर हिस्सा था। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के पिता आदूराम का देहान्त दिनांक 29.10.1996 को हो गया। आदूराम की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त भूमि चक 15 ए.जी. का विरासतन इन्तकाल संख्या 494 दिनांक 08.09.20 को प्रार्थीयान व अप्रार्थी एवं आदूराम के अन्य वारिसान के नाम दर्ज हो गया। वादग्रस्त भूमि चक 15 ए.जी. वर्तमान के खाता संख्या 5/6 सम्वत् 2074 से 2077 में प्रार्थी एवं अप्रार्थी तथा वाद के अन्य प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। चक 12 ए.जी. की स्व. आदूराम की संयुक्त खाता की भूमि 7.0610 हैक्टेयर वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 खाता संख्या 49/59 में दर्ज है। स्व. आदूराम की मृत्यु के पश्चात् दोनों चकों की भूमि उसके कुल 11 वारिसों के नाम प्रत्येक के 1/11 हिस्सा, में दर्ज हो गई, जहां तब दावा हाजा का सम्बन्ध है, सजरा खानदान पक्षकारान् जवाब प्रार्थना में अंकित है।

यह कि प्रार्थना-पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि चक 15 ए.जी. की 7.185 हैक्टेयर एवं स्व. आदूराम की चक 12 एजी की संयुक्त खाता में 2.353 हैक्टेयर भूमि का विरासतन इंतकाल कुल 11 वारिसों के नाम प्रत्येक के नाम 1/11 हिस्सा में दर्ज हो गया। वादग्रस्त भूमि में से प्रार्थीयान ने अपने हिस्सा की कुछ भूमि विक्रय कर दी है व क्रेता वाद में बतौर प्रतिवादी पक्षकार है। प्रार्थीयान ने विभाजन के बाद में संयुक्त खाता की सम्पूर्ण भूमि को शामिल नहीं किया है, इसलिये विभाजन का वाद चलने योग्य नहीं है । इसलिये स्थगन प्रार्थना-पत्र काबिले खारिजी के है । प्रार्थीयान व अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि के सह-काश्तकार है। संयुक्त खाता की भूमि में सह-काश्तकार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। इस आधार पर भी प्रार्थना-पत्र काबिले खारिजी के है। अतः जवाब स्थगन प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं. 2 अधिवक्ता श्री देवीलाल भाभूं ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अपने जवाब के समर्थन में कथन किये कि यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मुताबिक राजस्व रिकार्ड स्वीकार है शेष कथनो से इन्कारी है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 असत्य होने से अस्वीकार है प्रश्नगत कृषि भूमि का बाहमी बंटवारा किया हुआ है जिसके मुताबिक अप्रार्थी संख्या 2 का अलग से कब्जा काश्त है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 असत्य एवं विधि विरूद्ध होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया संख्या 1 चन्दो द्वारा अप्रार्थी [illegible] हक हिस्सा की भूमि में से सप्रतिफल अखरे तीन लाख रूपये में दिनांक 0[illegible]5.2[illegible] को 139 गुणा 52 फुट भूमि का बेचान किया जाकर कब्जा अप्रार्थी [illegible] राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज नही होने का नाजायज फायदा उठाकर सप्रतिफल बेचान की गयी भूमि को जबरिया तौर पर हड़पना चाहते है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 कतई असत्य एवं विधि विरूद्ध होने से अस्वीकार है प्रश्नगत कृषि भूमि सांझेखाते की कृषि भूमि है जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 रिकार्डेड खातेदार है जिसे अपने हिस्से को बेचान करने की कानूनी स्वतंत्रता है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 कतई असत्य एवं अस्पष्ट होने से अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 कतई असत्य एवं विधि विरूद्ध होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.06.26 15:37:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रश्नगत कृषि भूमि का रिकार्डेड खातेदार होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया कतई असत्य, मनगढ़त एवं विधि विरूद्ध होने से मय खर्चा खारिज किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी श्री सतपाल भाभूं ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखत बहस पेश करते हुए तर्क किया है कि सायलाना द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 विरूद्ध गैरसायलान इस आशय का पेश किया गया हुआ है कि ग्राम 15 ए.जी. पटवार हल्का भोमपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र बीरंगदेसर के खाता संख्या 5 की वाईया से टिब्बी रोड़ पर लगती कृषि भूमि सायलान को विरासतन प्राप्त है जिस पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। गैरसायलान द्वारा वाईया से टिब्बी लगती मूल्यवान भूमि को छोटे-छोटे टुकडो मे प्लाटिंग कर विक्रय करने पर अमादा है आदि-आदि।

यह कि सायलान ज्यादातर अपनी कृषि भूमि को ठेके पर हिस्से पर देकर काश्त करवाती चली आ रही है। गैरसायलान द्वारा सायलान को विरासतन प्राप्त कृषि भूमि वाईया से टिब्बी रोड़ पर मूल्यवान कृषि भूमि को गैरसायलान द्वारा षड़यंत्र पूर्वक स्टाम्प पेपर पर दिगर व्यक्ति को सायलान की गैरमोजुदगी का फायदा उठाकर विक्रय किया जाता रहा है व सायलान द्वारा ऐसा न करने का निवेदन करने पर जान से मारने की धमकी देते रहे है जिस पर सायलान द्वारा पुसिल चौकी लखवाली में भूमि हड़पने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया उक्त प्रार्थना पत्र के बाद पुलिस चौकी लखवाली द्वारा कोई कार्यवाही न करने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.10.2024 को स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आज दिवस तक स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। उक्त आदेश का गैरसायलान को भलीभांति ज्ञान होने के बावजूद भी गैरसायलान द्वारा सायलान की हिस्से की कृषि भूमि को जरिये स्टाम्प पेपर पर विक्रय किया जा रहा है ऐसे में अगर गैरसायलान अपने उपरोक्त वर्णित कृत्य में सफल हो जाते है वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा व सायलान अपने हक हकुको से वंचित रह जायेगी ऐसी स्थिति में गैरसायलान के विरूद्ध अगर स्थगन आदेश पारित नहीं किया जाता है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभन नही होगी। यहां यह निवेदन करना भी उचित होगा कि माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 10.10.2024 को न मानकर विवादास्पद कृषि भूमि को बिना रूपान्तरण करवाये महज स्टाम्पों पर विक्रय कर सम्पति को खुर्द बुर्द किया जा रहा हैं जिसके संबंध में सायलान द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 10.10.2024 की अवमानना के संबंध में अवमानना याचिका भी पेश कर रखी है जिसकी प्रति सलंग्न है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि लिखित बहस स्वीकार फरमाई जाकर गैरसायलान को स्थाई निशेधाज्ञा से पांबद फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें।

हमने बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी। पत्रावली में मौजूद प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, पंजीबद्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष का श्रवण किया गया। 2013 (2) आर.आर.टी. 1108, 2016 (1) आर.आर.टी. 113, 114, 2017 (1) आर.आर.टी. 522 का ससम्मान अध्ययन किया गया व प्रस्तुत नजीरों को ध्यान में रखते हुए हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए, विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक व सारभूत समझते है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.05.26 15:37:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

प्रार्थना पत्र में सलंग्न जमाबंदी, प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अभिलिखित सह-काश्तकार है और एक ही परिवार के सदस्य है। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 09.10.2024 को प्रार्थीगण को एक पक्षीय सुना जाकर चक 15 एजी खाता सं. 5/6 कुल तादादी 7.185 हैक्टेयर भूमि में अस्थाई व्यादेश पारीत किया गया है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की दफा 5 में अंकित किया है कि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 चाईया से टिब्बी मार्ग पर सड़क पर लगती भूमि का बेचान करने पर आमादा है जबकि साक्ष्य के तौर पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। विपरीत इसके अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बैयनामा 23.12.2022 जिसमें श्रीमती बिदामी उर्फ विद्या व सुंदर उर्फ बिमला द्वारा बहक लेखराम पुत्र लिच्छुराम को 0.102 हैक्टेयर भूमि, बैयनामा 13.02.2023 जिसमें श्रीमती चन्दो द्वारा बहक लेखराम पुत्र लिच्छुराम को 0.101 हैक्टेयर का, बैयनामा दिनांक 20.06.2023 जिसमें श्रीमती गुड्डी व चन्दो द्वारा बहक रामस्वरूप पुत्र धन्नाराम को 0.0759 हैक्टेयर का, बैयनामा दिनांक 06.06.2023 जिसमें बिदामी देवी द्वारा बहक महेन्द्र पुत्र रामचन्द्र को 0.101 हैक्टेयर का प्रश्नगत भूमि में से बेचान किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में से बेचान किया जा रहा है। जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 व 3 की दफा 4 अनुसार वादग्रस्त आराजी पूर्व में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज आदूराम के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। इसके अलावा प्रार्थीगण द्वारा चक 12 एजी खाता सं. 49/59 को अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं किया जाना पाया गया जो विभाजन डिक्री प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। चूंकि विवादाग्रस्त भूमि संयुक्त आराजी है जिसमें प्रत्येक सहकाश्तकार का प्रत्येक आराजी के हिस्से पर हक है इसलिए One co-tenant cannot claim T.I., against the another co-tenant. प्रार्थी और अप्रार्थीगण के मध्य एक दावा अंतर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस न्यायालय में विचाराधीन है। विभाजन द्वारा विशिष्ट भूमि के निर्धारण से पूर्व प्रत्येक अभिलिखित सह-काश्तकार अपने हक व हिस्से की हद तक अपनी नाम दर्ज आराजी का उपयोग व उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। अतः न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि अभिलिखित काश्तकार की हैसियत से अपने हक व हिस्से की आराजी का उपयोग व उपभोग करने के लिए अप्रार्थीगण स्वतंत्र है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.05.26 15:37:40 IST
Reason: SelfAttested

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि निर्देश जारी नहीं किया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षीगण को।

प्रार्थना पत्र और जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण अभिलिखित काश्तकार है एवं उक्त दस्तावेजात से अप्रार्थीगण अभिलिखित काश्तकार होने के कारण सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित खातेदार के खिलाफ यदि स्थगन आदेश जारी किया जाता है तो अप्रार्थीगण खातेदारी अधिकारों का उपयोग व उपभोग से वंचित हो सकते है। न्यायालय के अभिमत में अप्रार्थीगण को असुविधा हो सकती है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

अपूर्णनीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी श्तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में भरपाई नहीं की जा सकती हो।

चूँकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा बाबत विभाजन विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति अधिकतम हो सकती है।

अतएवं उक्त बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में इस न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण, के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति साबित नहीं होने के कारण जारी अस्थाई व्यादेश को निरंतर किया जाना व प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधि संगत एवं न्यायोचित नहीं है।

-:क्रिन्याविति आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश अस्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा स्थगन दिनांक 09.10.2024 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.05.26 15:37:40 IST
Reason: SelfAttested